न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 11/2020 दायरा दिनांक : 13.01.2019

उनवान

जगदीश आत्मज श्री रामचन्द्र, जाति धाकड़, निवासी ग्राम सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बाबू लाल आत्मज रामचन्द्र, जाति धाकड़, निवासी ग्राम सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2– सुमित्रा बाई पुत्री रामचन्द्र, जाति धाकड़, निवासी ग्राम सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3– बिनास कुमार पुत्री रामचन्द्र, जाति धाकड़, निवासी ग्राम सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4– रामचन्द्र पुत्र श्री रामप्रताप, जाति धाकड़, निवासी ग्राम सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री दयाराम सैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हुकम चन्द कुमावत अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.12.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 63/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88, 188, 53,

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को केम्प सुनेल में रखकर उक्त वाद में बिना जवाबदावा पेश हुए, बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य पक्षकारान लिये बिना ही मात्र वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 रामचन्द्र की उपस्थिति में मात्र उनके कथन को मानते हुए विवादित आराजी का बंटवारा करने का आदेश प्रदान कर दिया जबकि उक्त आराजी एवं अन्य आराजीयात जो कि पैतृक सम्पत्तियां के सम्बन्ध में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा दावा पेश किया हुआ है समान पक्षकार है और समान भूमि के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित हुए बिना ही मात्र वादी के एवं प्रतिवादी रामचन्द्र के कथन को मानते हुए अपीलांट की अनुपस्थिति में वाद का निस्तारण कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सम्पूर्ण पक्षकारों की सहमति के बिना ही तथा उक्त वाद में जवाबदावा लिये बिना एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में वाद का निस्तारण करने में त्रुटि की है । विवादित आराजी के अतिरिक्त प्रतिवादी रामचन्द्र को पैतृक सम्पत्ति में प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त अन्य आराजी जो भी पैतृक सम्पत्ति है ग्राम सुनेल में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 2535, 2538, 2539 का कुल रकबा 2.08 हेक्टर कीर गुप चुप तरीके से वाद के पूर्व ही बाबूलाल वादी द्वारा अपनी पत्नी भगवती के नाम दिनांक 31.05.2010 को दान पत्र का निष्पादन करवाकर उक्त आराजी दर्ज करवा ली है तथा वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को छिपाकर मात्र विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद पेश किया गया है । दान की गई आराजी में भी पैत्क आराजी होने से प्रतिवादी अपीलांट का हक व हिस्सा निहित था । समस्त पैतृक आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इन्ही पक्षकारान के विरूद्ध वाद बंटवारा आराजी व घोषणा का पेश किया हुआ है जो न्यायालय में जैरकार है । उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.11.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा के दौरान ही केम्प सुनेल में दिनांक 30.06.2018 को बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया है ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रामचन्द्र के चार पुत्र पुत्रियां हैं अपीलांट व 1, 2, 3 रेस्पोडेंट । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट 1 से 3 ने दावा कर 1/5 हिस्सा मांगा । केम्प कोर्ट में सबको बुलाना चाहिए और सभी की सहमति होनी चाहिए रामचन्द्र ने स्वीकार कर लिया 1/5 कर दे उसी आधार पर बंटवारा कर खाते में दर्ज हो गया । जगदीश का 1/5 हिस्सा है उसका कोई हक प्रभावित नहीं हुआ है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । जगदीश 1/2 हिस्सा चाहता है । एक दावा और लगा दिया जगदीश ने अधीनस्थ न्यायालय जो जैरकार है । इनकी अपील खारिज करें । दान पत्र पुत्र वधु बाबूलाल की पत्नी के नाम की जो रामचन्द्र की स्वयं अर्जित सम्पत्ति थी ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश प्रतिवादी की सहमति द्वारा वाद का निस्तारण किया गया जो उचित प्रतीत नहीं होता है । राजीनामे में सभी पक्षकारों की सहमति होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजीनामे पर प्रतिवादी रेस्पोडेंट रामचन्द्र व वादी रेस्पोडेंट बाबूलाल के ही हस्ताक्षर हैं । अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । सभी पक्षकारान की सहमति होना आवश्यक है लेकिन प्रकरण में इसका अभाव है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा